(87)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प – भोपाल

C.F. 13-5-13 प्र. क्र. /निग./2013 R-1479-PB1/13

8-4-13

रामस्वरूप पुत्र मिटठूलाल जाति–लोधी, नि. ग्रा. सेमरा धामनोद तह. ग्यारसपुर, जिला–विदिशा

..... निगरानीकर्ता

बनाम

अजबसिंह पुत्र मिटठूलाल जाति–लोधी नि. ग्राम सेमरा तह. ग्यारसपुर, जिला–विदिशा... गैर. नि. कर्ता

श्री कमल सिंह राजपूत अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 8-4-13 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 8-4-13

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 1/3/13 न्यायालय उपखण्ड अधि. ग्यारसपुर प्रकरण क्रं. 25 अपील 11–12 अजबसिंह बनाम रामस्वरूप अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता

माननीय महोदय,

10-4-13

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ग्यारसपुर के यहां प्रक. क्रं. 42 अ–6/02–03 के निर्णय दिनांक 25/7/03 के विरूद्ध 8–9 वर्ष बाद लंबे बिलम्ब से अपील प्रस्तुत कर जानकारी दिनांक 14/11/11 झूठे व काल्पनिक आधारों पर बताई गई। जबकि गैरनिगरानीकर्ता अजबसिंह ने ही वसीयतनामा के आधार पर स्वयं तहसीलदार ग्यारसपुर के यहां नामांतरण आवेदन दिनांक 19/5/03 के दोनों पृष्ठ पर तथा वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया था तथा उसने स्वयं के कथन दिनांक 18/7/03 व निर्णय पत्रिका 25/7/03 पर भी विभिन्न दिनांकों पर अपने हस्ताक्षर कर सारी कार्यवाही पिता मिटठूलाल के साथ सम्पन्न कराई थी। जो वसीयतनामा के आधार पर विधिवत व सद्‌भावना पूर्ण तरीके से हुई थी। निगरानीकर्ता उस समय नाबालिग था तथा पिता, पुत्र ने मिलकर रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 18/6/1993 के आधार पर नामांतरण कार्यवाही की प्रक्रिया पूर्ण की जिसके अनुसार निर्णय दिनांक 25/7/03 को पारित किया गया था। तब से आज तक नामांतरण अनुसार मौके पर पूर्ण जानकारी में अपनी–अपनी

रामस्वरूप

....2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1479–पीबीआर/13 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-8-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, ग्यारसपुर के प्रकरण कमांक 25/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 1–3–2013 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया गया है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील पेश की गई जिसके साथ धारा 5 अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया गया अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकृत किये जाने हेतु ग्राह्य किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । विलंब क्षमा करना अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर है वरिष्ठ न्यायालय केवल यह देख	

निग. – 1479. P.B.R/13 (विदिशा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग विधिवत किया है या नहीं । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है । उनके इस आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है ना ही कोई विधिक त्रुटि है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	